

नीतीश कुमार के दो पुराने व विश्वसनीय चेलों, प्रशांत किशोर व आर.सी.पी. सिंह ने हाथ मिलाया

दोनों चेलों ने नीतीश कुमार के ई.बी.सी. वोट बैंक (मुख्य रूप से कुर्मी वोट बैंक) में सेंध लगाने का लक्ष्य लेकर ही हाथ मिलाया है

– श्रीनन्द झा –
– राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो –
नई दिल्ली, 20 मई। राजनीति में कोई स्थाई दोस्त या दुश्मन नहीं होता। प्रशान्त किशोर तथा राम चन्द्र प्रसाद सिंह (आर सी पी सिंह), जो पहले कटु प्रतिद्वन्दी थे, ने अपने मतभेद समाप्त कर दिये हैं तथा जे डी यू नेता एवं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के “इकॉनॉमिकली बैकवर्ड क्लास (ई बी सी) वोट बैंक (खासतौर से कुर्मी वोट बैंक) को तोड़ने के विचार ने उन्हें एक कर दिया है।

लगभग पांच माह बाद बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं। इस प्रभूमि में, उनका एक होना यह प्रदर्शित करता है कि वे राज्य की राजनीति में भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए तथा आर जे डी के नेतृत्व वाले महागठबंधन के विरुद्ध तीसरे विकल्प के रूप में उभरना चाहते हैं। इस घटनाक्रम, अर्थात इस नज़दीकी को नीतीश कुमार के लिए चेतावनी की घंटी के रूप में लिया जाना चाहिए, क्योंकि आर सी पी और किशोर उनके निकटतम सहयोगी एवं सहायक रहे हैं

- दोनों चेले, इस नये गठबंधन के सहारे बिहार में भाजपा के नेतृत्व वाले एन.डी.ए. व आर.जे.डी. के नेतृत्व वाले महागठबन्धन के बाद तीसरा स्तम्भ बनना चाहते हैं, बिहार की राजनीति में।
- यह घटनाक्रम नीतीश कुमार के लिए खतरे की घंटी है, क्योंकि दोनों चेले, किसी जमाने में नीतीश कुमार के सबसे मजबूत साथी थे, जिन्होंने चार बार नीतीश का ई.बी.सी. वोट बैंक गढ़ा था, और नीतीश की “सुशासन” की छवि बनाने में कामयाबी हासिल की थी।
- प्रशांत किशोर उस जमाने में जे.डी.यू. के उपाध्यक्ष थे, तथा उनके जे.डी.यू. छोड़ने का एक बड़ा कारण आर.सी.पी. सिंह थे।
- आर.सी.पी. सिंह व प्रशांत किशोर के बीच इतनी राजनीतिक प्रतिस्पर्धा थी, कि आर.सी.पी. सिंह ने प्रशांत किशोर पर तीखी टिप्पणी की थी कि, प्रशांत एक ऐसे राजनीतिज्ञ हैं, जिन्होंने बिहार के लिए कुछ नहीं किया।

तथा उन्होंने जे डी यू के लिए ई बी सी वोट बैंक बनाने में बहुत मदद की है। यही नहीं, इन दोनों ने नीतीश कुमार की “सुशासन” व्यक्ति की छवि भी बनाई है।

आर सी पी मुख्यमंत्री कुमार की तरह “कुर्मी” ही हैं तथा दोनों ही चालन्दा से है। एक समय, आर सी पी, जे डी यू में सर्वाधिक शक्तिशाली नेता माने जाते थे

और, कुछ समय तक पार्टी अध्यक्ष भी रहे हैं, फिर उनके नीतीश से मतभेद हो गए। इसी प्रकार, प्रशान्त किशोर एक समय जे डी यू के उपाध्यक्ष थे तथा उनके जे डी यू को छोड़ने का एक कारण आर सी पी के साथ उनकी प्रचंड प्रतिद्वन्द्विता भी बताई जाती है। उस समय आर सी पी ने किशोर का अपमान करते हुए, उन्हें एक ऐसा व्यक्ति बताया था, “जिसका बिहार के लिए कोई योगदान नहीं है।” पर रविवार के दिन, उनकी सारी पुरानी शत्रुता और प्रतिद्वन्द्विता पीछे छूट गई तथा सिंह ने घोषणा की कि वे किशोर की “जन सुराज पार्टी (जे एस पी) में अपनी अल्पज्ञात पार्टी “आप सबकी आवाज” का विलय कर रहे हैं।

पर्यवेक्षकों का कहना है, “आर सी पी के जे एस पी में आने से कुर्मी मतदाताओं में जे एस पी की संभावनाएं तो काफी बढ़ ही जायेंगी, इसके साथ ही, ऐसे समय पर, जब किशोर सारे समुदायों को मिलाकर एक सामाजिक संयोजन की स्थिति लाने की कोशिश कर रहे हैं, आर सी पी की संगठनात्मक क्षमताओं से उन्हें (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

हाईकोर्ट ने परकोटे के 19 भवनों की पालना रिपोर्ट मांगी

जयपुर, 20 मई। राजस्थान हाईकोर्ट ने शहर की चारदीवारी के आवासीय इलाके में व्यावसायिक गतिविधियों के चलते अवैध तौर पर चिन्हित किए 19 भवनों के मामले में राज्य सरकार को 25 फरवरी के आदेश की पालना के लिए 7 जुलाई तक का समय दिया है। जस्टिस इन्द्रजीत सिंह व आनंद शर्मा की खंडपीठ ने ये आदेश मामले में लिए गए स्वप्रेरित प्रसंज्ञान में भवन मालिकों की ओर से दिए प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए दिए।

सुनवाई के दौरान, राज्य सरकार के एएजी जीएस गिल ने कहा कि 19 भवन

- जयपुर की चारदीवारी के आवासीय इलाके में व्यावसायिक गतिविधियों के लिए चिन्हित 19 भवनों के मामले में 25 फरवरी को आदेश दिया था।

मालिकों में से अभी 10 का ही पक्ष सुन पाए हैं और 9 भवन मालिकों का पक्ष जानना बाकी है। इसलिए अदालत राज्य सरकार को तीन महीने का समय दे। इसका विरोध करते हुए न्याय मित्र शोभित तिवाड़ी ने कहा कि पालना रिपोर्ट के लिए तीन महीने का समय ज्यादा है। इस दौरान मामले से जुड़े सीनियर एडवोकेट विमल चौधरी ने कहा कि प्रभावितों ने अदालत से तथ्य छिपाए हैं और सुप्रीम कोर्ट में उनकी (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

‘ऑपरेशन सिन्दूर की जानकारीयां विदेशी सरकार से साझा की जा रही हैं पर संसद में नहीं’

सी.पी.आई. के नेता डी. राजा ने कहा कि, भारत सरकार की ऑपरेशन सिन्दूर के बारे में सांसदों की यह अवहेलना हमें स्वीकार नहीं है

–डॉ. सतीश मिश्रा–
–राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो–
नई दिल्ली, 20 मई। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीआई) के महासचिव डी. राजा ने आज एक महत्वपूर्ण बयान में कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के मामले में विदेशी सरकारों को जानकारी दी जा रही है, जबकि भारतीय जनता “अंधेरे में रखी गई है”, यह कदापि स्वीकार्य नहीं है।

सीपीआई महासचिव ने कहा कि, हालांकि विपक्ष “ऑपरेशन सिंदूर” पर संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग कर रहा है, पर, सरकार को जनता द्वारा चुनी गई संसद की कोई परवाह नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद सरकार ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूपनएससी) के सदस्य देशों सहित प्रमुख देशों में बहुदलीय प्रतिनिधिमंडली भेजने का जो निर्णय लिया है, उसमें पारदर्शिता का अभाव है तथा अधिकांश को इससे बाहर रखा गया “अपारदर्शिता” और “बहिष्करण” से भरा है, उन्होंने कहा। उन्होंने कहा कि राजनीतिक दलों से इस मुद्दे पर न तो कोई सलाह ली गई और न ही उन्हें जानकारी दी गई, और इन

- डी. राजा ने यह भी कहा कि देश के राजनीतिक दल कई बार यह मांग कर चुके हैं कि संसद का विशेष सत्र आहूत कर सरकार ऑपरेशन सिन्दूर के बारे में जानकारी दे। सांसद सेना के इस “युद्ध” के बारे में अनुभवों को जानना चाहते हैं। भारत सरकार ये अनुभव विदेशी राष्ट्रों से शेयर करने को तो लालायित है, पर सांसदों को इस बारे में कुछ साझा क्यों नहीं करना चाहती है।

प्रतिनिधिमंडलों का क्या उद्देश्य है, इस पर भी “कोई स्पष्टता नहीं” है। उन्होंने एक्स पर लिखा, “यह अस्वीकार्य है कि विदेशी सरकारों को जानकारी दी जाए जबकि भारत की अपनी संसद और जनता को अंधेरे में रखा जाए।” कांग्रेस सहित कई विपक्षी दल “ऑपरेशन सिंदूर” पर संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग कर रहे हैं, यह ऑपरेशन पहलगाम हमले के बाद शुरू किया गया था। ऑपरेशन सिंदूर पर एक पोस्ट को लेकर अशोक विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर की हालिया गिरफ्तारी का मुद्दा उठाते हुए, सीपीआई नेता ने इस

असहमति की आवाज को दबाने का प्रयास बताया।

राजा ने भारत और पाकिस्तान के बीच युद्धिवराम की शर्तों को लेकर बढ़ रहे भ्रम और अमेरिका के राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप की भूमिका पर भी सरकार से स्पष्टीकरण मांगा, “जिन्होंने गैरजिम्मेदाराना ढंग से परमाणु संघर्ष का संकेत दिया था।” उन्होंने कहा, “चौकाने वाली बात यह है कि सरकार ने अभी तक उनके दावों का स्पष्ट रूप से खंडन या निंदा नहीं की है। यह संसद की एक समिति के सामने विदेश सचिव द्वारा दिए गए कथित बयान से एकदम उलट है, जिसमें कहा गया था कि दोनों पक्षों ने पारंपरिक युद्ध का इस्तेमाल किया था।”

अब नये फ्रेश वकील सीधे ही जुडीशिअरी सर्विस के इम्तिहान में नहीं बैठ पायेंगे

सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश पारित कर यह व्यवस्था बिठाई है, कि, अनिवार्य रूप से एक फ्रेश ग्रेजुएट को कम से कम तीन साल लॉ की प्रेक्टिस करने का अनुभव होना जरूरी होगा, “जुडीशिअरी” एन्ट्री लैवल की परीक्षा में बैठने से पहले

–जाल खंबाता–
–राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो–
नई दिल्ली, 20 मई। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को फैसला सुनाया कि न्यायिक सेवा में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को कम से कम तीन साल की वकालत का अनुभव होना अनिवार्य होगा। इस निर्णय के बाद अब ताजा लॉ ग्रेजुएट सीधे न्यायिक सेवा की परीक्षा में शामिल नहीं हो सकेंगे। यह फैसला न्यायिक सेवा में करियर की तैयारी कर रहे छात्रों पर व्यापक प्रभाव डालेगा। मुख्य न्यायाधीश

अटारी बॉर्डर पर12 दिन बाद रिट्रीट सैरमनी

अमृतसर, 20 मई। पहलगाम हमले का बदला लेने के लिए भारत की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया। ऑपरेशन सिंदूर से बोखलाए पाकिस्तान ने भारत के साथ युद्ध जैसे हालात पैदा किए। दोनों देशों के बीच तनाव के चलते अमृतसर के अटारी-बाघा बॉर्डर पर रिट्रीट सैरमनी बंद कर दी गई थी। अब हालात सामान्य होने पर मंगलवार को अटारी बॉर्डर पर रिट्रीट सैरमनी एक बार फिर से शुरू कर दी गई। हालांकि पहले दिन रिट्रीट देखने जाने वाले लोगों की

- हालांकि दोनों ओर के गेट नहीं खोले गये, पर भारत की तरफ बड़ी संख्या में पर्यटक मौजूद थे, जिन्होंने भारत माता की जय के नारे लगाए।

संख्या एक हजार से 1500 के बीच रही। अटारी बॉर्डर पर पहुंचे सैलानियों की ओर से वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारे लगाए गए वहीं सैरमनी के दौरान बीएसएफ की ओर से गेट पूरी तरह से बंद रखे गए। रिट्रीट सैरमनी के दौरान सैलानियों ने बीएसएफ जवानों का हौसला बढ़ाया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद सात मई से रिट्रीट सैरमनी बंद कर दी गई थी। रिट्रीट सैरमनी शुरू हो जाने पर जहां (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

–जाल खंबाता–
–राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो–
नई दिल्ली, 20 मई। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री कुँवर विजय शाह द्वारा कर्नल सोफिया कुरैशी, जिन्होंने हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर के बारे में मीडिया को ब्रीफ किया था, के खिलाफ की गई “घिनौनी, असभ्य और शर्मनाक” टिप्पणी को लेकर कड़ी आपत्ति जताई और मंत्री के खिलाफ दर्ज एफआईआर की जांच के लिये स्पेशल इन्वैस्टिगेशन टीम (एसआईटी) गठित करने का आदेश दिया। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति एन कोट्टिश्चर सिंह की बेंच ने टिप्पणी करते हुए कहा, “देश आप पर शर्मसार है”, और मध्य प्रदेश के पुलिस महानिदेशक को 20 मई तक एसआईटी

गठित करने का निर्देश दिया। इस टीम में राज्य कैडर के तीन वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी शामिल होंगे, लेकिन कोई भी अधिकारी मध्यप्रदेश का मूल निवासी नहीं होगा। साथ ही, टीम में कम से कम एक महिला अधिकारी अनिवार्य रूप से होनी चाहिए और टीम का नेतृत्व कम से कम इंसपेक्टर जनरल या डीजीपी रैंक के अधिकारी को करना होगा। कोर्ट ने यह भी कहा कि यह एक “अनिपरीक्षित” है और “हम चाहते हैं कि राज्य इस एसआईटी की रिपोर्ट हमें सौंपे। हम इस मामले पर कड़ी नज़र रखेंगे।” हालाँकि कोर्ट ने फिलहाल शाह की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है, लेकिन यह भी स्पष्ट किया कि उन्हें जांच में सहयोग देना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि स्पष्ट किया कि वह जांच की निगरानी नहीं

- कर्नल सोफिया कुरैशी ने बड़ी सौम्यता व गम्भीरता से ऑपरेशन सिन्दूर के बारे में सेना की ओर से ब्रीफिंग की।
- सुप्रीम कोर्ट ने मंत्री पर बहुत सख्त टिप्पणी की और कहा, मंत्री ने घटना पर जो टिप्पणी की उसमें “सच्चाई” तक नहीं थी और मंत्री द्वारा खेद व्यक्त करना केवल एक औपचारिकता ही थी।
- कोर्ट के आदेश से अब तीन सदस्यीय एस.आई.टी. गठित होगी। जिसमें तीन वरिष्ठ पुलिस अधिकारी तथा कम से कम एक महिला पुलिस अधिकारी भी शामिल होगी तथा एस.आई.टी. का नेतृत्व एक आई.जी. व डी.जी.पी. रैंक का पुलिस अधिकारी करेगा।

करेगा, लेकिन जांच की प्रगति पर करीबी नज़र रखेगा और एसआईटी को 28 मई तक स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का

आदेश दिया शाह की सार्वजनिक माफी को “बनावटी” करार देकर को खारिज करते

कांग्रेस ने “ऑपरेशन सिन्दूर” पर भाजपा सरकार को घेरने का पूरा प्रयास किया

- कांग्रेस के अनुसार प्र.मंत्री ने गत ग्यारह साल में 151 विदेश यात्राएं कीं, 72 देश गये, जिनमें अमेरिका की दस यात्राएं भी शामिल हैं, पर आतंकवादी हमले के सन्दर्भ में भारत के पक्ष में खड़ा होने के लिए कोई देश तैयार नहीं हुआ।
- आई.एम.एफ. ने पाकिस्तान को 1.4 बिलियन डॉलर की सहायता का पैकेज देना स्वीकार किया, लेकिन, यह जानते हुए कि इस रकम का उपयोग पाकिस्तान आतंकवादियों को तैयार करने पर खर्च करेगा, भारत यह पैकेज नहीं रुकवा सका।
- बार-बार ट्रम्प दावा कर रहे हैं, कि उन्होंने मध्यस्थता कर भारत-पाक के बीच सीज़ फायर करवाई, पर भारत अनर्गल बयानबाजी का भी प्रभावी ढंग से जवाब नहीं दे पाया।
- इसी प्रकार, विदेश मंत्री की यह स्वीकारोक्ति, कि उन्होंने पाकिस्तान पर हवाई बमबारी करने से पहले पाकिस्तान को पूर्व सूचना दी, एक बहुत गैर जिम्मेदाराना हरकत थी।

खेड़ा द्वारा उठाए गए प्रमुख सवालों में शामिल थे: ऑपरेशन से पहले पाकिस्तान को जानकारी क्यों दी गई, जबकि भारत के संवेदनशील क्षेत्रों जैसे

पूँछ में नागरिकों को कोई सूचना नहीं दी गई? क्या इस चेतावनी ने मसूद अजहर और हाफिज सईद जैसे आतंकियों को भागने में मदद की? कितने आतंकी भागे

और इससे भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा को कितना नुकसान हुआ? कांग्रेस, सरकार द्वारा ऑपरेशन सिंदूर के बाद अचानक युद्धिवराम की घोषणा के बाद से ही लगातार इस मुद्दे पर हमलावर है। यह सैन्य कार्रवाई 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के जवाब में शुरू की गई थी, जिसमें 26 नागरिक मारे गए थे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड्गे ने भी खेड़ा के सवालों को दोहराते हुए एक्स पर लिखा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की लगातार विदेश यात्राओं के बावजूद, भारत अंतरराष्ट्रीय मंच पर अलग-थलग पड़ा है। उन्होंने कहा, “फिछले 11 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी ने 151 विदेशी दौर किए और वे 72 देशों में गए, जिनमें अमेरिका की 10 यात्राएं शामिल है। फिर भी जब भारत को पाकिस्तान की सीमा-पार आतंकवाद में भूमिका उजागर करने के लिए वैश्विक समर्थन की आवश्यकता थी, तब कोई भी देश हमारे साथ खड़ा नहीं हुआ।” उन्होंने पाकिस्तान को दिए गए 1.4 अरब डॉलर के राहत पैकेज को भारतीय (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

अधीक्षण अभियंता का ऑफिस सील हो और वह बाहर बैठकर काम करें

जयपुर, 20 मई। राजस्थान हाईकोर्ट ने पीएचईडी की जनता जल योजना में कार्यरत रहे पंप चालकों को अदालती आदेश के बावजूद भी न्यूनतम वेतन नहीं देने पर कड़ा रुख अपनाया है।

- हाईकोर्ट ने सीकर डीजे को पी.एच. ई. डी. अधीक्षण अभियंता के बारे में निर्देश दिये।
- पंप चालकों के न्यूनतम वेतन के संबंध में अदालत ने 2020 में आदेश दिये थे, जिनकी आज तक पालना नहीं हुई।

अदालत ने कहा कि ऐसा लगता है कि अधीक्षक अभियंता, सीकर सर्किल ने अदालती आदेश की जानबूझकर (शेष अंतिम पृष्ठ पर)